फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमू (जयपुर)

मूलचंद बनाम राज० सरकार

मुकदमा संख्या /वर्ष : 36 /2019 वाद

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	09/12/21	आज यह पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान ग्राम अनतपुरा चिमनपुरा में पेश हुई। वादी स्वयं उप०। दस्तावेज पेश किये और शा०मि० किये गये। प्रकरण में सुना गया। पत्रावली का अवलोकन। आदेश दिनांक 22/12/21 को पेश हो। [signature]	मूल प० चस्पा
	22/12/21	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर हैं। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 05/01/22 को पेश हो। [signature]	
	05/01/22	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर हैं। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 10/2/22 को पेश हो। [signature]	
	10/02/22	वकील वादी उप०। वकील वादी को सुना गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तथा तहसीलदार तहसील चौमूं की तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी [illegible] तथा मुरलीधर पुत्र [illegible] खाते के नाम है। अतः वादी का वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया। जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Harshit Verma
Date: 2022.04.26 15:54:18 IST
Reason: SelfAttested

विशेष

मुकदमा सं0–36 / 2019
उनवान–मूलचन्द बनाम राज0 सरकार
निर्णय दिनांक– 10.02.2022

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री हर्षित वर्मा (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–36 / 2019

उनवान

मूलचन्द यादव पुत्र घीसाराम यादव, उम्र..........वर्ष, जाति अहीर, निवासी ग्राम अणतपुरा चिमनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर(राज0)।

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती

निर्णय

निर्णय दिनांक :–10.02.2022

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी ग्राम अणतपुरा चिमनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का रहने वाला काश्तकार पेशा व्यक्ति है। वाके ग्राम अणतपुरा चिमनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के आराजी खाता सं0 220 में खसरा नं0 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60 / 1667, 61, 62 कुल किता 9 का कुल रकबा 6.31 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 1 / 4 भाग निहित है जो वादी को उसके पिता घीसा की मृत्यु पर विरासत में प्राप्त हुआ है परन्तु वादी का बोलचाल का नाम मुरलीधर के नाम से नामान्तकरण दर्ज करते समय वादी का नाम मुरलीधर पुत्र घीसाराम दर्ज किया गया जो विवादग्रस्त है। वादी का नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में मूलचन्द पिता घीसाराम के नाम से दर्ज है तथा इसी प्रकार भारत सरकार के आधार प्रमाण पत्र में भी मूलचन्द पिता घीसाराम एवं राशनकार्ड में मूलचन्द पिता घीसाराम तथा ग्राम पंचायत अणतपुरा चिमनपुरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 04.07.2019 को मूलचन्द पिता घीसाराम ही नाम दर्ज है जबकि मद संख्या 2 में वर्णित आराजी में विवादग्रस्त नाम मुरलीधर उल्लेख है। वादी ने अपना नाम दुरुस्त करवाने बाबत राजस्व कैम्पों में तथा राजस्व कर्मचारियों से कई बार निवेदन किया परन्तु नाम दुरुस्त नहीं किया गया जिसका की नाम दुरुस्त करवाये जाने का अधिकार वादी को प्राप्त है तथा विवादग्रस्त नाम गलत [illegible] वादी का बोलचाल का नाम दर्ज कर दिया गया है जिसको दुरुस्त किया जाकर मूलचन्द पिता घीसाराम किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। वाद में किसी भी अन्य [illegible] द्वारा किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए [illegible] पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादी का विवादग्रस्त नाम दुरुस्त नहीं किये जाने के कारण वादी को [illegible]ने कृषि कार्य हेतु बैंक ऋण सहायता आदि प्राप्त करने मे गंभीर कठिनाईयों का सामना होने से उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Harshit Verma
Date: 2022.04.26 15:54:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

सहायताओं से महरुम होना पड़ रहा है। वादी के पिता का मूलचन्द पिता घीसाराम नाम का कोई अन्य वारिस नहीं है।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र में यह अनुतोष चाहा गया है कि विवादित आराजियात् में वादी का नाम हजफ किये जाने की घोषणा कर मूलचन्द पिता घीसाराम किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

वादी द्वारा स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र व दस्तावेजी साक्ष्य के रुप में नक्शा जमाबन्दी स0 2070, आधारकार्ड की छायाप्रति, राशनकार्ड की छायाप्रति, भामाशाह कार्ड की छायाप्रति, फर्द मौका जाच रिपोर्ट दिनांक 09.12.2021 तथा पंचायत चुनाव निर्वाचन नामावली की प्रतिलिपि संलग्न किये गये हैं। तहसीलदार, तहसील चौमूं द्वारा उक्त नाम से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवायी गई। तहसीलदार, तहसील चौमूं से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 15.09.2021 के मुताबिक वादी का असली व पहचान का नाम मूलचन्द पुत्र घीसाराम है तथा समाज व परिवार में यह व्यक्ति इसी नाम से जाना जाता है। अतः खाता सं0 220 में खसरा नं0 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60/1667, 61, 62 कुल किता 9 का कुल रकबा 6.31 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 1/4 भाग में वादी का नाम मूलचन्द पुत्र घीसाराम दुरुस्त किया जाना उचित होगा।

प्रकरण में सुना गया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा अपने हिस्से की खातेदारी भूमि में अपना नाम मुरलीधर पुत्र घीसाराम के स्थान पर मूलचन्द पुत्र घीसाराम दुरुस्त करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन व तहसीलदार, तहसील चौमूं की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मुरलीधर पुत्र घीसाराम व मूलचन्द पुत्र घीसाराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। न्यायालय अभिमत में मुरलीधर पुत्र घीसाराम के स्थान पर मूलचन्द पुत्र घीसाराम नाम दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर वाके ग्राम अणतपुरा चिमनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के आराजी खाता सं0 220 में खसरा नं0 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60/1667, 61, 62 कुल किता 9 का कुल रकबा 6.31 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 1/4 भाग की खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मुरलीधर पुत्र घीसाराम के स्थान पर मूलचन्द पुत्र घीसाराम दुरुस्त कर तदनुसार इन्द्राज किया जावे।

डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Harshit Verma
Date: 2022.04.26 15:54:18 IST
Reason: SelfAttested

(हर्षित वर्मा, IAS)
सहायक कलक्टर
चौमूँ

मुकदमा सं0–36 / 2019
उनवान–मूलचन्द बनाम राज0 सरकार
निर्णय दिनांक– 10.02.2022

डिक्री मुकददमा इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी :– श्री हर्षित वर्मा (R.A.S.)

उनवान

मूलचन्द यादव पुत्र घीसाराम यादव, उम्र..........वर्ष, जाति अहीर, निवासी ग्राम अणतपुरा चिमनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर(राज0)।

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती

मुकदमा नं0:–36 / 2019

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रूबरू श्री हर्षित वर्मा आर.ए.एस. मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वाके ग्राम अणतपुरा चिमनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के आराजी खाता सं0 220 में खसरा नं0 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60 / 1667, 61, 62 कुल किता 9 का कुल रकबा 6.31 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 1 / 4 भाग की खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मुरलीधर पुत्र घीसाराम के स्थान पर मूलचन्द पुत्र घीसाराम दुरुस्त कर तदनुसार इन्द्राज किया जावे।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 10.02.2022 को जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Harshit Verma
Date: 2022.04.26 15:54:18 IST
Reason: SelfAttested

मोहर

दस्तखत .... कलक्टर

ओहदा........... चौमूँ (जयपुर)

मुकदमा सं0–36/2019
उनवान–मूलचन्द बनाम राज0 सरकार
निर्णय दिनांक– 10.02.2022

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इज़राय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	
जोड़	3	जोड़	0

उपखण्ड मजिस्ट्रेट / सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Harshit Verma
Date: 2022.04.26 15:54:18 IST
Reason: SelfAttested